

आज यह पत्रावली राजस्थान लोक उद्योग न्याय बोर्ड  
 द्वारा-2018 अधिनियम द्वारा प्रचलित  
 में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित  
 पक्षकारान को वास्ते तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर  
 पत्रावली आईन्दा दिनांक... 11/6/18 ... पेश हो।

11/6/18





RA कठुणा देवी




RA जशु देवी

RA काला देवी



RA कुमा देवी



RA वैद्य प्रसाद




RA कुकर्णी देवी

पक्ष

के. लाला राय  
 सारपंच  
 ग्राम पंचायत  
 पत्रावली समिति

पक्ष



कलपीर सिंह  
 RA-1P

-पत्रावली ग्याय-भापके द्वारा लॉय 68 में  
 प्रस्तुत हुई। अपीलान्तर्गत व रेस्पॉन्डेंट द. 15  
 3 उपस्थित। अपीलान्तर्गत रेस्पॉन्डेंट ने आपापसी  
 राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन  
 किया कि वादपत्र में उल्लेखित भूमि का  
 नामान्तकरण द. 264 गिरदा क. आवंट  
 के विधिक कार्रवाई एवं उनके नामों की जांच  
 कर नामान्तकरण खिंच जाने का निवेदन किया  
 गया।

मजसे आम अपीलान्तर्गत रेस्पॉन्डेंट के  
 राजीनामा की तलबी सरफ, गुण गुण द्वारा की  
 गई। अपीलान्तर्गत रेस्पॉन्डेंट द्वारा प्रस्तुत  
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण  
 द. 264 निरस्त करते हुए तलबीलगा का  
 इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है  
 कि वादपत्र अपील में उल्लेखित भूमि के आवंट  
 के विधिक कार्रवाई एवं उनके नामों की जांच  
 कर एक माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण  
 करें। निर्णय मजसे आम सुनाया जाकर लिखा  
 गया। पत्रावली केवल शुभारंभ और दफ्तर दायर  
 है।

(मनमोहन चौधरी)  
 उपजज (अधिकांश) 82472  
 कम-6P